न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 114/2017

अनवान :

रूघवीर पुत्र मेहरचंद जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़। राजस्थान

– प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा, जिला हनुमानगढ़।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट
उपस्थिति : वकील श्री सुरेन्द्र बैनीवाल **: प्रार्थी**

निर्णय **दिनांक :**

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा सुरतपुरा के खाता सं0 134 के मु0नं0 13 के किला नं0 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 प्रत्येक किला की 01900 है0 मु0नं0 14 के किला नं0 13/2 की 0.1270 है0 किला नं0 18 की 0.2530 है0 कुल 1.5200 है0 बारानी कृषि भूमि व चक 9 एलएसआर के खाता सं0 224 के मु0नं0 203 के किला नं0 23, 24 प्रत्येक की 0.2530 है0 किला नं0 25 की 0.2530 है0 गै0मु0 रास्ता 0.0130 है0 मु0नं0 204 के किला नं0 21, 22 प्रत्येक की 0.2530 मु0नं0 230 के किला नं0 14 से 24 प्रत्येक की 0.2530 है0 किला नं0 25 की 0.2530 है0 गै0मु0 रास्ता 0.0130 है0 मु0नं0 249 के किला नं0 4, 5 प्रत्येक की 0.1530 है0 इस प्रकार चक 9 जेएसएल की कुल 3.2890 है0 बारानी कृषि भूमि दर्ज है।

प्रार्थी का उक्त वाद भूमि के राजस्व रिकार्ड में रूघवीर की जगह रघूवीरसिंह दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थी का सही नाम रूघवीर ही है। प्रार्थी के परिवार राशन–कार्ड आधार कार्ड, पहचान पत्र व अन्य दस्तावेजात में रूघवीर नाम जो सही है। कार्यालय ग्राग पंचायत सुरतपुरा ने प्रार्थी का सही नाम रूघवीर अंकन किया है। लिपिकिय भूल से प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में रूघवीर की जगह रघुवीरसिंह दर्ज कर दिया गया है। जिससे प्रार्थी के अपने खातेदारी अधिकारियों का सही उपयोग नहीं कर पा रहा है तथा प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर के.सी.सी. भी नहीं बनवा पा रहा है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार राज ने रिपोर्ट प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली है।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी ने रोही मौजा सुरतपुरा के खाता सं0 134 के राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त करवाने हेतु वाद पेश किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जो दस्तावेज यथा आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड पेश किये है उसमें उसका नाम रूघवीर

पुत्र मेहरचंद अंकित है। सरपंच ग्राम पंचायत सूरतपुरा ने भी अपने द्वारा जारी प्रमाण पत्र में प्रार्थी का सही नाम रूघवीर पुत्र मेहरचंद होना अंकित किया है तथा प्रतापसिंह पुत्र रामस्वरूप, राजकुमार पुत्र मेहरचंद व स्वयं प्रार्थी रूघवीर पुत्र मेहरचन्द ने अपने साक्ष्य में प्रस्तुत शपथ पर में प्रार्थी का सही नाम रूघवीर होना जाहिर किया है।

अत : प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा सुरतपुरा के खाता सं0 134 के मु0नं0 13 के किला नं0 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 प्रत्येक किला की 01900 है0 मु0नं0 14 के किला नं0 13/2 की 0.1270 है0 किला नं0 18 की 0.2530 है0 कुल 1.5200 है0 बारानी कृषि भूमि व चक 9 एलएसआर के खाता सं0 224 के मु0नं0 203 के किला नं0 23, 24 प्रत्येक की 0.2530 है0 किला नं0 25 की 0.2530 है0 गै0मु0 रास्ता 0.0130 है0 मु0नं0 204 के किला नं0 21, 22 प्रत्येक की 0. 2530 मु0नं0 230 के किला नं0 14 से 24 प्रत्येक की 0.2530 है0 किला नं0 25 की 0. 2530 है0 गै0मु0 रास्ता 0.0130 है0 मु0नं0 249 के किला नं0 4, 5 प्रत्येक की 0.1530 है0 इस प्रकार चक 9 जेएसएल की कुल 3.2890 है0 बारानी कृषि भूमि दर्ज है में प्रार्थी का नाम रघुवीरसिंह की जगह रूघवीर पुत्र मेहरचंद जाति जाट निवासी सुरतपुरा दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.11.17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़